रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937
No. 253] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASADHA 30, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 15 जुलाई, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (व्यापार स्थल) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/9/99/2015.–समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए (2) (जेडएसी) और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 18(4) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीसी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**

(i) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (व्यापार स्थल) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे तथा ऐसी तारीख से आईआरडीए (व्यापार स्थल) विनियम, 2013 का अधिक्रमण करेंगे।

2. **परिभाषाएँ :**

(i) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'व्यापार स्थल' से भारत में पंजीकृत बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के अंदर स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय, मंडलीय कार्यालय, शाखा कार्यालय अथवा कोई अधीनस्थ कार्यालय अथवा कोई अन्य कार्यालय, चाहे किसी भी नाम से कहलाता हो, अथवा भारत के बाहर स्थापित *'भारतीय बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधि या संपर्क कार्यालय'* अथवा *'भारतीय बीमाकर्ता का विदेश स्थित शाखा कार्यालय'* अभिप्रेत है;

(घ) 'प्रतिनिधि या संपर्क कार्यालय' से कारोबार के प्रधान स्थल अथवा प्रधान कार्यालय, चाहे किसी भी नाम से कहलाए, के साथ सूचना के माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए भारत के बाहर भारतीय बीमाकर्ताओं का कार्यस्थल अथवा भारत में स्थित ऐसी संस्था जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई वाणिज्यिक या व्यापारिक या औद्योगिक कार्य नहीं करती तथा सामान्य बैंकिंग माध्यम द्वारा विदेश से प्राप्त आवक विप्रेषणों से अपना निर्वाह करती है, अभिप्रेत होगा;

(ङ) 'विदेश स्थित शाखा कार्यालय' से भारत के बाहर स्थापित भारतीय बीमाकर्ताओं का 'शाखा कार्यालय' अभिप्रेत है जिसका आशय (क) कंपनी द्वारा शाखा के रूप में वर्णित किसी स्थापना; अथवा (ख) कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा किया जानेवाला वही कार्यकलाप अथवा पर्याप्त रूप से वही कार्यकलाप करनेवाली किसी संस्था से है;

(च) 'विवरणी' से इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विवरणियाँ अभिप्रेत हैं;

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31), अथवा साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों में, जैसी स्थिति हो, क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

(3) इन विनियमों के अधीन प्रत्येक बीमाकर्ता कोई भी कारोबार स्थल प्रारंभ करने से पहले प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा, चाहे वह भारत के अंदर हो या भारत के बाहर।

<u>स्पष्टीकरणः</u> ये विनियम अधिनियम की धारा 2(9)(डी) में परिभाषित रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में स्थापित शाखा पर लागू नहीं हैं।

<u>खंड-I</u>

<u>भारत के अंदर व्यापार स्थलों के लिए मानदंड</u>

<u>भारत के अंदर व्यापार स्थल प्रारंभ करना</u>

(4) सभी बीमाकर्ताओं के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यवसाय योजना होगी। उक्त वार्षिक व्यवसाय योजना के अंतर्गत बीमाकर्ता की व्यवसाय योजनाओं के अतिरिक्त भारत के अंदर न केवल शहरी केन्द्रों में, बल्कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में भी प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित नये व्यापार स्थलों की कुल संख्या निहित होगी।

(5) उक्त वार्षिक व्यवसाय योजना के अंतर्गत विनियम 7(ii) में उल्लिखित व्यापार स्थलों को छोड़कर, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित व्यापार स्थलों के नाम विशिष्ट रूप से निहित होंगे जिनके लिए इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित है।

(6) प्रत्येक बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च के लिए अपने संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यवसाय योजना प्राधिकरण को उसकी पहली तिमाही के अंत तक अर्थात् उसी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगा।